कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

तहसील डोईवाला

पत्रांक :2416 /वाद सं0 सी0–0418/एस–रानीपोखरी/2024 दिनांक 21/10/,2024

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्री यशपाल सजवाण/भूस्वामी घमण्डपुर रोड लिस्ट्राबाद रोड रानीपोखरी देहरादून द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये लगभग 7–8 बीघा भूमि में डिमार्केशन रोड निर्माण करते हुए प्लाटिंग का कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ तथा विकास कार्य राके जाने की कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण वाद सं0 सी0–0418/एस–रानीपोखरी/2024 योजित किया गया। उक्त चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25/10/2024 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही भान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कि स्थल पर उपस्थित होकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराने का कष्ट करे।
3. थानाध्यक्ष, रानीपोखरी को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर स्थल में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को एक जेसीबी मशीन दो वाहन एंव ध्वस्तीकरण से संबंधित सामान संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. श्री यशपाल सजवाण/भूस्वामी घमण्डपुर रोड लिस्ट्राबाद रोड रानीपोखरी देहरादून, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 25/10/2024, को ध्वस्त किया जाना है। शेष शर्ते पूर्व प्रेषित पत्रांक सख्या 2055 दिनांक 26.09.2024 आदेश यथावत रहेगें। स्थल पर उपलब्ध रहें और अपना समान स्वयं हटा लें।

(6) 22/10/2024

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला।

22/10/24